

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

संख्या:- 1187 / FP/UK/ROAD/15682/2015 देहरादून: दिनांक: २५ नवम्बर, 2019

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद-बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट में पैठाड-दारसिंह-खातीगाँव-नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी०
मोटर मार्ग मोटर मार्ग के सम्बन्ध में। FP/UK/ROAD/15682/2015

सन्दर्भ:- भारत सरकार का EDS दिनांक- 07-12-2017 (प्रतिसंलग्न)

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्र दिनांक 07/12/2017 के द्वारा सूचना प्रेषित की गयी है। उपलब्ध करायी गयी सूचना अपूर्ण है। भारत सरकार के उक्त EDS की बिन्दुवार पूर्ण सूचना मय संलग्नको के यथाशीघ्र (ऑफलाईन व आनलाईन) इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि सूचना भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(ए०के० गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्या 1187 / FP/UK/ROAD/15682/2015 तददिनांकित।

1. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित की वांछित सूचनाओं का अवलोकन करने के पश्चात ही स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना आनलाईन तथा आफलाईन इस कार्यालय को अग्रसारित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट को इस आशय से प्रेषित की वांछित सूचना मूल प्रति में आनलाईन तथा आफलाईन इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यावाही की जा सके।

(ए०के० गुप्ता)
वन संरक्षक

OK

The reply through online portal submitted by the State Govt. with reference to this office EDS dt 04.08.2016. Following shortcomings are found in the reply:

1. In reply to point no. 2, authority letter still not uploaded for the applicant.
2. In reply to point no. 3 & 4, date on VLC proceedings of village Horal and Bhandotal is after the date of DM certificate which is not acceptable. Also requested to upload clear copy of complete FRA.
3. In reply to point no. 5, component wise break up still does not shows area marked for road, muck disposal and other component like bridge in online Part-I. The State Govt. may upload/provide the correct detail in online Part-I again.
4. In reply to point no. 9, copy of map indicating location of alternative examined is still not uploaded in the designated place in Part-I.
5. In reply to point no. 10, in place of justification of locating the project in forest land still benefit of road uploaded in Part-I. The State Govt. may upload revised justification in the designated column.
6. In reply to point no. 11, 125 trees per ha does not account for 0.3 density. The State Govt. may revise the density accordingly in online Part-II.
7. Original hard copy of CA scheme, CA site suitability, digital map of proposed road, digital map of CA and Part I to Part V may be provide.

---Regional Office, Dehradun---